

FROM No.III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत... सहायक डलक्टर ख S.O. मुकाम वायतु

..... खंगाराराम बनाम नाथाराम कोटा

किस्म मुकदमा रा. भा. 111, 128 RCR Act नं. 331/21 सन्. 2021

| तारीख हुक्म | हुक्म कार्यवाही मय इनिशियल्स जज | नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए |
|-------------|---|---|
| 30/10/2021 | प्रार्थी/वादी/अपीलांट के वकील श्री <u>इरीराम चौधरी</u> ने यह प्रार्थनापत्र/वाद/अपील धारा <u>111, 128 RCR Act</u> राजस्थान काश्तकारी/भू राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत पेश किया है। जो दर्ज रजिस्टर हो। विप्रार्थी/प्रतिवादी/रेस्पोंडेंट जरिये नोटिस/सम्पन तलब होकर पत्रावली वास्ते जवाब दिनांक <u>29/12/2021</u> को पेश हो। | |
| 29/12/2021 | प्रार्थी वकील उपरिष्ठत/विप्रार्थी- गणों के नोटिस पूर्व में जरिये रजिस्ट्र रडी मिजवाये गये जिनकी रडी पुनः प्राप्त नही हुई है नमान पीढायीन कश्चिडाती दिना 31/12/2021 में व्यत्य होने से मिशाल इलवा डोडर सिगापी दिनांक 26/04/2022 को पेश हो। | सहायक कलक्टर (S.D.O.) वायतु जिला - वायतु |
| 26/04/2022 | प्रार्थी वकील उपरिष्ठत/विप्रार्थी- गणों की रडी पुनः प्राप्त नही हुई है नमान पीढायीन कश्चिडाती दिनांक 31/12/2021 में पधार हुई है अतः मिशाल इलवा डोडर सिगापी दिनांक- 12/05/2022 को पेश हो। | |

12/05/2022

प्रार्थी वकील उपस्थित/ विप्रार्थीगणों
के नोटीस पूर्व में जरूरी रजिस्ट्रार एडी मिज-
बाघे गांधी जिनकी डिप्लोमा रजिस्ट्रार प्रार्थी माधु-
वन्तु द्वारा पेश की गई, विप्रार्थीगण बाव-
जुद सूचना मनु उपस्थित रहे जिनके विरुद्ध
एकतरफा शर्तवादी मामला के लाई जाती है।
वाले द्वारा पत्रावली दिनांक 27/06/2022 के
पेश है।

सहायक कलक्टर
बायतु
जिला - बाड़मेर

27/06/2022

प्रार्थी वकील उपस्थित/ विप्रार्थीगण बावजुद तामिल
अनुपस्थित/ प्रार्थी अधिवक्ता की बहस सुनी गई, प्रार्थी के
अधिवक्ता द्वारा बताया गया कि प्रार्थी एवं विप्रार्थीगणों के
खातेदारी खेत सेढा सेढा आए हुए है। प्रार्थी एवं विप्रार्थीगणों
के खेत की सीमाओं पर पुरानी माढ़े एवं कणे बने हुए थे जो
वर्तमान में आंधियों की वजह से बिखर गए है जिससे प्रार्थी
एवं विप्रार्थीगणों के बीच खेत की सीमाओं को लेकर हमेशा
विवाद बना रहता है इस कारण प्रार्थी को अपने खेत की
सीमाओं का सही ज्ञान करवाने बाबत नेखमबंदी करवानी
आवश्यक है इसलिए प्रार्थी के नेखमबंदी आवेदन को स्वीकार
किया जाकर नेखमबंदी आदेश किया जावे।

अतः प्रार्थी अधिवक्ता के निवेदन पर प्रार्थी का
नेखमबंदी आवेदन स्वीकार किया जाकर तहसीलदार बायतु को
कमीशनर नियुक्त किया जाकर आदेश दिया जाता है कि
आप स्वयं या अपने अधीनस्थ, भू. अ. निरीक्षक से प्रार्थी के
खातेदारी खेतों की पक्की नेखमबंदी मौके पर कमीशनर शुल्क
जमा कराकर करें। पालना रिपोर्ट प्राप्त होने पर शामिल
पत्रावली हो, पत्रावली फैसल शुमार हो, दर्ज नम्बर से कम हो,
दाखिल दफ्तर हो।

सहायक कलक्टर (S.D.O.)
बायतु
जिला - बाड़मेर

राजस्थान-सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बायतु, जिला बाड़मेर

क्रमांक : वाद/2022/1098

दिनांक : 27/06/2022

प्रार्थी

बनाम

विप्रार्थीगण

1. खंगाराराम पुत्र करनाराम,
जाति जाट, निवासी कोसरिया,
पटवार मण्डल कोसरिया,
तहसील बायतु (बाड़मेर)

1. नाथाराम पुत्र खैराजराम वगैरा 11,
जाति जाट, निवासी कोसरिया,
पटवार मण्डल कोसरिया,
तहसील बायतु (बाड़मेर)

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111,128 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956

राजस्व आवेदन संख्या : 331/2021

आदेश

प्रार्थी के खातेदारी खेत मौजा - कोसरिया, पटवार मण्डल - कोसरिया, तहसील - बायतु, जिला- बाड़मेर के खेत खसरा नं. 632/509 रकबा 2.7991 हैक्टर भूमि का साधारण सीमाज्ञान करने में राजस्व पटवारी विफल रहें एवं सीमा को लेकर मौके पर तनाजा है। खातेदार को यह अधिकारी है कि वह अपने खातेदारी भूमि का सीमाज्ञान/नेखमबंदी करा सकता है। लिहाजा प्रार्थी का आवेदन अन्तर्गत धारा 111, 128 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 स्वीकार किया जाता है एवं तहसीलदार बायतु को कमीशनर नियुक्त किया जाकर आदेश दिया जाता है कि कमीशनर स्वयं या सहायक कमीशनर से प्रार्थी के खातेदारी खेतों की पक्की नेखमबंदी मौके पर निर्धारित कमीशनर शुल्क 500/- जमा कराकर करें तथा पालना रिपोर्ट पेश करें। अपेक्षित होने पर संबधित थानाधिकारी से पुलिस इमदाद प्राप्त करने हेतु अधिकृत किया जाता है।



क्रमांक : वाद/2022/1098-1103

प्रतिलिपि:-निम्न को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित है।

1. तहसीलदार बायतु
2. पटवारी हल्का कोसरिया को भेजकर लेख है कि निर्धारित तारीख को मय रिकर्ड उपस्थित रहकर नेखमबंदी की कार्यवाही पूर्ण करावें।
3. प्रार्थी श्री खंगाराराम पुत्र करनाराम,
4. विप्रार्थी श्री नाथाराम पुत्र खैराजराम वगैरा 11,
5. पुलिस थानाधिकारी बायतु/गिड़ा/नागाणा।

(जगदीश सिंह आशिया)
उपखण्ड अधिकारी बायतु

दिनांक : 27/06/2022

उपखण्ड अधिकारी बायतु
जिला-बाड़मेर